Research Reinforcement | A Peer Reviewed International Refereed Journal | ISSN 2348-3857
Impact Factor (IIJIF): 5.454 | Vol. 8, Issue 1 | May. 2020 - October 2020 | pp. 89-92

भारतीय समाज में कन्या भ्रूण हत्या एवं कन्या शिशु हत्या : एक सामाजिक चुनौती

Research Reinforcement
ISSN 2348-3857

डॉ. हरिचरण मीना

सह आचार्य, समाजशास्त्र विभाग
राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सवाईमाधोपुर (राजस्थान)

शोध सारांश

भारतीय समाज में कन्या शिशु हत्या की कुप्रथा बहुत पुरानी हैं। जहाँ एक ओर महिलाओं को देवी,दुर्गा,सरस्वती इत्यादि के रूप में पूजनीय मानते हुए समाज में उच्च दर्जा दिया गया हैं वही दूसरी ओर कन्या शिशु के जन्म लेते ही या जन्म के कुछ समय पश्चात माता-पिता या परिवार के सदस्यों द्वारा उसे मारने की कुप्रथा भी अनेक समाजों में रही हैं। वर्तमान में इसका रूप कन्या भ्रूण हत्या के रूप में देखा जा सकता हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में अल्ट्रा-सोनोग्राफी जैसी तकनीकी के विकास के कारण गर्भ में पल रहे शिशु का लिंग परीक्षण करके कन्या भ्रूण की माँ के गर्भ मे हत्या के रूप तकनीकी का दुरूपयोग भी देखा जा सकता हैं। वास्तव में अल्ट्रासाउंड कराने का उदेश्य गर्भ में पल रहे बच्चे के विकास के बारे मे जानना होता हैं। अल्ट्रासाउंड द्वारा पता लगाया जाता हैं कि कही बच्चा असामान्य स्थिति में तो नहीं हैं या उसका विकास रूक तो नहीं गया हैं । लेकिन अब अल्ट्रासाउंड कराने का मुख्य उदेश्य शिशु का लिंग पता करना मात्र रह गया हैं। भारतीय समाज में कन्या भ्रूण हत्या एवं कन्या शिशु हत्या एक सामाजिक चुनौती हैं। अत: इस कुप्रथा के प्रति समाज में जागृति लाकर इस रोकने की अति आवश्यकता हैं

संकेताक्षर : *भ्रूणहत्या, शिशुहत्या, अल्ट्रा-सोनोग्राफी, कुप्रथा, फील्डसर्वे, नियोजन, रियासत, गैर सरकारी संगठन*

प्रस्तावना

भारतीय समाज में कन्या शिशु हत्या की कुप्रथा बहुत पुरानी हैं। देश के विभिन्न भागों में यह कुप्रथा प्रचलित रही हैं। इसे कन्या वध के नाम से भी जाना जाता था। जहाँ एक ओर महिलाओं को देवी, दुर्गा,सरस्वती इत्यादि के रूप में पूजनीय मानते हुए समाज में उच्च दर्जा दिया गया हैं वही दूसरी ओर कन्या शिशु को जन्म लेते ही या जन्म के कुछ समय पश्चात माता-पिता या परिवार के सदस्यों द्वारा उसे मारने की कुप्रथा भी अनेक समाजों में रही हैं। क्योंकि अनेक समाजो एवं परिवारों में कन्या के जन्म को अपशकुन के रूप में माना जाता था। उस समय चिकित्सा विज्ञान में आधुनिक अल्ट्रा-सोनोग्राफी जैसी तकनीकी का अभाव होने के कारण गर्भ में पल रहे शिशु के लिंग का पता लगाना असम्भव था। आधुनिक युग में चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में अल्ट्रा-सोनोग्राफी जैसी तकनीकी का विकास हुआ हैं। अल्ट्रा-सोनोग्राफी मशीन का आविष्कार इस बात का पता लगाने के लिए किया गया था कि गर्भ में पल रहे शिशु में कोई असामान्यता हो तो उसे चिकित्सकीय इलाज द्वारा ठीक किया जाकर स्वस्थ्य शिशु को जन्म दिया जा सकें। लेकिन अल्ट्रा-सोनोग्राफी मशीन के आविष्कार के साथ ही इसका दुरूपयोग होना शुरू हो गया। जिसके परिणामस्वरूप कन्या शिशु हत्या के स्थान पर कन्या भ्रूण हत्या समाज में प्रचलित हो गई हैं। अल्ट्रा-सोनोग्राफी मशीन के द्वारा लगभग बारह सप्ताह के भ्रूण का लिंग परीक्षण किया जा सकता हैं। देश के विभिन्न भागों में चिकित्सालय में सोनोग्राफी मशीन द्वारा लिंग परीक्षण कराकर कन्या भ्रूण का गर्भापात करना सामाजिक प्रघटना के रूप में देखा जा सकता हैं। तथा यह प्रघटना किसी धर्म या जाति विशेष तक सीमित नहीं हैं बल्कि सभी धर्म एवं जातियों में देखी जा सकती हैं।

भारत के एक राज्य में 1988 में एक सर्वे किया गया जिससे ज्ञात हुआ कि 1984-85 में 15914 गर्भापात के मामलों में 100प्रतिशत कन्या भ्रूण से सम्बन्धित थे। एक सर्वे रिपोर्ट के अनुसार मुम्बई के छ: सिटी चिकित्सालयों में 8000 गर्भापात के मामलों मे से 7999 मामले कन्या भ्रूण के थे। एक सर्वे के अनुसार दक्षिण भारत के तमिलनाडू राज्य में लगभग 4000 कन्या भ्रूणों

का गर्भपात प्रतिवर्ष कराया जाता हैं। संजीव कुलकर्णी की 1986 की मुम्बई फील्ड सर्वे रिपोर्ट के अनुसार लगभग 84 प्रतिशत स्त्री एवं प्रसूति रोग विषेशज्ञ गर्भपात के केस से सम्बन्धित थे तथा लगभग 74 प्रतिशत गर्भपात कन्या भ्रूण के थे। कन्या भ्रूण का गर्भपात कराने वाले अधिकांश लोग मध्यम या उच्च मध्यम परिवारों से सम्बन्धित थे। प्रो. देसाई की 1988 की गुजरात के कच्छ एवं सौराष्ट्र क्षेत्र की अध्ययन रिपोर्ट के अनुसार कन्या भ्रूण हत्या का मुख्य कारण गरीबी,दहेज एवं परिवार नियोजन की अज्ञानता इत्यादि थे। यूनिसेफ की 2006 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 5 लाख कन्या भ्रूण हत्या प्रतिवर्ष की जाती हैं। तथा 1986 से 2006 तक लगभग दस मिलियन कन्याओं को गर्भ में ही मार दिया गया। हालाकि भ्रूण गर्भपात के वास्तविक आंकड़े जुटाना मुश्किल ही नहीं वरन नामुमकिन हैं क्योंकि भ्रूण गर्भपात के अधिकांश मामलों को अधिकतर अस्पतालों में दर्ज ही नहीं किया जाता हैं। भ्रूण गर्भपात कराने वाले भी नहीं चाहते कि उनका रिकार्ड संधारण किया जाये। जनगणना रिपोर्ट के अनुसार शिशु लिंगानुपात 2001 में 901 : 1000 था एवं 2011 में यह लिंगानुपात घटकर 883 : 1000 रह गया हैं। लिंगानुपात की दृष्टि से देश में हरियाणा राज्य की स्थिति अत्यधिक चिंताजनक हैं। कन्या भ्रूण हत्या के प्रमुख कारणों में समाज में बढती निर्धनता ,दहेज प्रथा, पुत्र प्राप्ति की लालसा, पुत्री जन्म को अपशकुन मानने की पुरातन धारणा, समाज में बढते अपराध, बलात्कार, छेड़छाड़, घरेलू हिंसा, सुरक्षा का अभाव और न जाने कितने प्रकार की ज्यादतियों के कारण प्रमुख हैं।

भारतीय समाज में कन्या भ्रूण हत्या एवं कन्या शिशु हत्या के कारण लिंगानुपात भी असन्तुलित हो रहा हैं जो कि अपने आप में समाज के सामने बड़ी चुनौती हैं। भारतीय समाज में लिंगानुपात असन्तुलन के अनेक कारण हैं। भारतीय समाज में स्वास्थ्य सेवाओं की खराब स्थिति एवं दूरदराज के इलाकों में अत्यन्त खराब स्थिति के कारण प्रसव के दौरान बहुत सी महिलाए काल के मुंह मे समा जाती हैं। कन्या भ्रूण हत्या भी अपने आप में लिंगानुपात असंतुलन के लिए बहुत बड़ा कारण हैं । भारतीय समाज में नवजात कन्या शिशुओं पर अपेक्षाकृत कम ध्यान दिया जाता हैं। बहुत सारे समाजों में आज भी कन्याओं को जन्म लेते ही मार देने की कुप्रथा आज भी प्रचलित हैं। समाज में यह बहुत ही गम्भीर समस्या है कि पहले तो कन्याओं को जन्म लेने से पहले ही मार दिया जाता हैं और यदि जन्म ले भी लेती है तो वह कुछ समय पश्चात गायब हो जाती है। यहाँ गायब शब्द का प्रयोग इसलिए किया जाता हैं कई कन्याओं का पता ही नहीं चलता कि जन्म के बाद कहाँ गई ? इसलिए यह समाज के सामने बहुत बड़ी चुनौती हैं।

समूचे विश्व के साथ साथ आज हमारे देश मे भी मातृशक्ति को कमजोर किया जा रहा है। यदि कन्याओं को जन्म लेने से पहले ही, यूं ही मारा जाता रहा और काल की पगध्वनि को अनसुना किया जाता रहा तो एक दिन ऐसा भी आ सकता है कि हमारे समाज में स्त्री प्रजाति लुप्त ही हो जाए, भारत मे भूमि तो रहेगी लेकिन भारत की आबादी समाप्त हो जायेगी। जिस अनुपात और तीव्र गति से हमारे देश में कन्याओं की जन्म दर घट रही हैं यह अत्यंत अशुभ संकेत है। स्त्री नहीं होगी तो पुरूष भी नहीं होगा। जननी को जन्म ही नहीं लेने दिया जायेगा तो जगत का सृजन कौन और कैसे करेगा।

आधुनिक प्रगति और भौतिकवादी संस्कृति की अधोगति यह है कि यह हत्यारों, पापियों को पाल-पोस रही हैं, पाप को बढावा दे रही है और मानवीय संवेदनशीलता का पोषण कर रही है। यह संस्कृति केवल लोभी इंसानों को पैदा कर रही है, केवल भोग संभोग को बढावा दे रही है। यहाँ कन्याओं को अभिशाप समझा जाता हैं इसलिए या तो उसे कोख में ही मार दिया जाता हैं या फिर जन्म के तुरंत बाद ही उसे मौत के घाट उतार दिया जाता हैं ताकि वह पिता की सम्पति में हिस्सा न बंटा सके और दहेज का दानव पिता की सम्पति को न निगल सके। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि कन्या भ्रूण का गर्भपात करवाने का जघन्य पाप एक आत्मघाती प्रवृति है जिसके कारण पृथ्वी पर मानव सभ्यता का अस्तित्व ही संकट मे पड़ सकता है।

पिछले कुछ समय से कन्या भ्रूण के मामलों में तेजी से इजाफा हुआ है। इसके पीछे मूल रूप से हमारी सोच ही जिम्मेदार हैं। जन्म के समय से ही स्त्रियाँ हमारे समाज में प्रताड़ित होना शुरू हो जाती है। अपराध चाहे कोई भी करे लेकिन उसकी सजा अंततः स्त्री को ही मिलती हैं। बलात्कार महिला के खिलाफ होता है लेकिन समाज बलात्कारी के स्थान पर पीड़ित महिला को ही हिकारत की नजर से देखने लगता हैं। सामाजिक ताना बाना ऐसा है कि दहेज एक आवश्यक संस्कार बन गया हैं। दहेज प्रथा रोकने मे हमारी नाकामी के चलते आज कन्या भ्रूण हत्या को बढावा मिल रहा हैं। कुछ आधुनिक लोग सोचने लगे हैं कि चंद रूपये खर्च कर बेटी को कोख में ही समाप्त कर दिया जाए। इन प्रवृतियों के कारण कन्या भ्रूण हत्या बढ़ रही हैं।

अध्ययनों से पता चला हैं कि कन्या भ्रूण हत्या अपराध की जड़ अशिक्षा अथवा गरीबी नहीं हैं। दरअसल यह पूरी तरह हमारी

असंवेदनशीलता का ही परिणाम हैं। इस महापाप का एक बड़ा कारण शायद यह भी हैं कि स्त्री स्वयं स्त्री होने की हीनभावना से ग्रस्त हैं। आज भी अधिकतर गर्भवती महिलाए सिर्फ और सिर्फ पुत्र की कामना ही करती हैं। अधिकतर स्त्रियाँ बेटे पैदा करने मे गर्व का अनुभव करती हैं और बेटी पैदा होने पर शर्म महसूस करती हैं।

हमारे यहाँ अधिकतर कन्या भ्रूण हत्याओं के मामले पुत्र रत्न की चाहत में होते हैं। बालिका भ्रूण हत्या का एक कारण लगातार छोटे होते परिवार हैं। छोटे परिवारों मे पति पत्नी के अलावा दो बच्चों की गुंजायश रहती हैं। प्रत्येक युगल चाहता हैं कि उसके कम से कम एक पुत्र अवश्य हो इसलिए पहली बार कन्या के जन्म लेने के बाद दूसरी बार गर्भ मे ही लिंग का पता लगवा लेता हैं। और यदि गर्भ मे कन्या पल रही होती हैं तो युगल गर्भपात का अमानवीय निर्णय ले लेता हैं। अब सवाल अल्ट्रासाउंड तकनीक के दुरूपयोग पर भी उठता हैं। वास्तव में अल्ट्रासाउंड कराने का उदेश्य गर्भ में पल रहे बच्चे के विकास के बारे मे जानना होता हैं। अल्ट्रासाउंड द्वारा पता लगाया जाता हैं कि कही बच्चा असामान्य स्थिति में तो नहीं हैं या उसका विकास रूक तो नहीं गया हैं । लेकिन अब अल्ट्रासाउंड कराने का मुख्य उदेश्य शिशु का लिंग पता करना मात्र रह गया हैं।

एक अनुमान के अनुसार भारत में प्रत्येक वर्ष एक लाख से भी अधिक महिलाएँ गर्भ संबंधी कारणों से मृत्यू का शिकार हो जाती हैं और अधिकतर मौतें कन्या भ्रूण का गर्भपात करते समय ही होती हैं। इस बारे मे कोई पुख्ता आकड़े उपलब्ध नहीं हैं कि प्रत्येक वर्ष कितनी महिलाएँ गर्भपात कराती हैं और कितनी महिलाएँ किसी सामाजिक या पारिवारिक कारणों से गभ्रपात का निर्णय लेती हैं। वैसे पाँच लाख से दो करोड़ गर्भपात सालाना के आकड़े विभिन्न स्रोतों से मिलते हैं। 1994 मे किए गए एक अध्ययन मे अनुसार 1992 में देश में कुल एक करोड़ दस लाख गर्भपात कराए गए। यहाँ आश्चर्य की बात यह है कि देश में गर्भपात को मान्यता मिले 20 वर्ष से अधिक समय हो चुका हैं लेकिन 1992 में हुए इन गर्भपातों मे से केवल 0.6 प्रतिशत ही पंजीकृत गर्भपात(एम.टी. पी.) थे। माना जाता है कि प्रत्येक 10से 12 अवैध गर्भपातों के बाद एक पंजीकृत होता है। पिछले कुछ वर्षो में भ्रूण लिंग निर्धारण एवं कन्या भ्रूण हत्या मे जिस कदर बढोतरी हुई है, उसने सभी को चिंता में डाल दिया हैं। पंजाब, हरियाणा व दिल्ली की स्थिति अधिक चिंताजनक है क्योकि कन्या भ्रूण व कन्या शिशु हत्या दर अधिक है। उत्तर पश्चिमी भारत में पुरुष प्रधानता होने के कारण कन्या भ्रूण हत्या की दर अधिक पायी जाती हैं लेकिन ताज्जुब तब अधिक होता हैं, जब केरल, मणिपुर और असम जैसे राज्यों में कन्या भ्रूण हत्या के मामले सामने आते है, जहाँ महिलाओं को देश के शेष हिस्सों की अपेक्षा अधिकार सम्पन्न समझा जाता है।

भारत सरकार एवं राज्य सरकारों द्वारा समय-समय पर अवैधानिक गर्भपात को रोकने के लिए कानून एवं अधिनियम बनाये जाते रहे हैं। सन 1970 तक भारतीय दंड संहिता की धारा 1860 के अनुसार वैधानिक गर्भपात की अनुमति थी। जूलाई 1971 में medical termination of pregnancy act. बना एवं अप्रेल 1972 से लागू हुआ। pre-natal diagnostic techniques (regulation and prevention of misuse) act.1994 में बना एवं जन.1996 में लागू हुआ। इसी प्रकार रियासत काल में सर्वप्रथम बून्दी रियासत द्वारा कन्या वद्य की कुप्रथा को रोकने का प्रयास किया गया था। हाल ही में राजस्थान में अवैध लिंग परीक्षण के विरुद्ध कार्यवाही करते हुये छ: सोनोग्राफी केन्द्रों का अनुज्ञा पत्र निरस्त किये एवं बीस केन्द्रों को नोटिस दिये गये हैं। समय-समय पर केन्द्र एवं राज्य सरकारों द्वारा अवैध लिंग परीक्षण एवं भ्रूण गर्भपात को रोकने हेतु कानून बनाये जाते हैं एवं उनके तहत कार्यवाही भी की जाती हैं। फिल्म अभिनेता आमिर खान ने अपने शो सत्यमेव जयते के द्वारा भी कन्या भ्रूण हत्या के प्रति लोगों को जाग्रत करने का प्रयास किया गया हैं।

राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान जननी-शिशु सुरक्षा योजना की शुरूआत 12 सितम्बर 2011 एवं मुख्यमंत्री शुभलक्ष्मी योजना की शुरूआत 1अप्रेल 2013 के तहत बालिका बचाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा हैं। इसी प्रकार राजस्थान सरकार पानी बचाओं, बिजली बचाओं, बेटी बचाओं, वृक्ष लगाओं एवं सबको पढाओं के नारे द्वारा भी कन्या बचाने के लिए प्रयासरत हैं। अनेक सामाजिक संगठन, सरकारी संगठन, गैर सरकारी संगठन और सेलिब्रेटी भी इस कुप्रथा को रोकने के लिए प्रयासरत हैं। इन सब प्रयासों के बावजूद भी समाज में कन्या भ्रूण हत्या पूर्णरूपेण बन्द नहीं हुई हैं।

निष्कर्ष

समग्र रूप में कहा जा सकता हैं कि कन्या शिशु हत्या एवं कन्या भ्रूण हत्या समाज में कलंक ही नहीं वरन खतरा भी साबित हो रहा हैं। यदि इस पर अंकुश नहीं लगाया गया तो समाज में अनेक यौन अपराध बढ़ेंगे और यह स्थिति सभी धर्मों, जातियों एवं वर्गो के लिए खतरनाक साबित होगी। अत: आवश्यकता इस बात की हैं कि सामाजिक स्तर पर बेटा-बेटी को बराबर मानने की समझदारी विकसित की जाये। निश्चित रूपेण समाज में महिलाओं के प्रति समता और सम्मान की भावना जागृत करने की आवश्यकता हैं। महिलाओं ने हमेशा ही समाज में पुरुषों से अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हैं तथा प्रत्येक क्षेत्र में समाज एवं देश का नाम

रोशन किया हैं। बालिकाओं को अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए विशेष अवसर, शिक्षा, संस्कार, सुरक्षा, संरक्षण और सुविधाएँ मुहैया कराने की आवश्यकता हैं। समाज में महिला एवं पुरूष को एक ही सिक्खे के दो पहलू माने गये हैं। एक दूसरे के अभाव में पूर्ण मानव समाज की कल्पना नहीं की जा सकती। कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए अवैध लिंग परीक्षण करने वाले डॉक्टर, नर्स, अस्पताल एवं माता पिता पर अधिक कठोर कार्यवाही की आवश्यकता है साथ ही कानूनी कार्यवाही के साथ साथ लोगों में जागरुकता लाने की महती आवश्यकता है क्योंकि किसी भी सामाजिक बुराई को तब तक जड़ से समाप्त नहीं किया जाता जब तक कि उसके प्रति लोगों में जनचेतना जागृत नहीं हो जाती। जब लोगों में जनचेतना जागृत हो जाती है तो वह समस्या स्वत: ही समाप्त होना शुरू हो जाती है। अत: भारतीय समाज में कन्या शिशु हत्या एवं कन्या भ्रूण हत्या एक सामाजिक चुनौती हैं। इसलिए इस कुप्रथा को रोकने के लिए समाज में जागृति लाने की आवश्यकता हैं।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. सुदर्शन, डॉ. हरिदासराम शेण्डे, महिला अधिकार और शिक्षा ग्रन्थ विकास प्रकाशन, जयपुर, 2008, पृ.सं. 18
2. सिन्हा, मृदुला, मात्र देह नहीं है औरत, सामयिक प्रकाशन, नई दिल्ली, 2009, पृ.सं. 45
3. सक्सेना, श्रीमती वन्दना, महिलाओं का संसार और अधिकार
4. मिश्रा, श्रीमती प्रीति, हिंदू महिलाओं के जीवन में धर्म का महत्व, आदित्य पब्लिशर्स, रींवा, 2012, पृ.सं. 78
5. आशारानी, नारी शोषण, नेशनल पब्लिशिंग हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली
6. जनगणना रिपोर्ट, 2011
7. आमिर खान द्वारा प्रसारित शो सत्यमेव जयते, 26 जून 2012
8. सुन्दरिया, राजेन्द्र प्रसाद, महिलाएं एवं घरेलू हिंसा, सागर पब्लिकेशन, जयपुर, पृ.सं. 236
9. यूनिसेफ द्वारा प्रकाशित लिंगानुपात के आकड़े
10. देसाई, एन., बॉन टू डाई, दि इण्डियन पोस्ट, 7 अक्टूबर, 1988, बोम्बे, पी.पी. 6
11. बोस, ए., कर्बिंग फीमेल फीटेसाइड डॉक्टर्स गवर्नमेंट एण्ड सिविल सोसाइटी, एनश्योर फेलियर, इको. पॉल. वीकली, वो. 37, नं. 8, फेब 23-मार्च 1, 2002, पी.पी. 696-697
12. कुलकर्णी, एस., प्री-नेटल सेक्स डिटरमिनेशन टैस्ट्स एण्ड फीमेल फीटीसाइड इन बोम्बे सिटी, 1986